कार्यालय–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/बी/असंपूमैछा/2020–21/ दिनांक :–13/01/2021

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(माध्यमिक–मुख्यालय)

Most Urgent

1726
14-01-21

विषय :– सत्र 2020–21 एनएसपी (NSP) पोर्टल पर अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति योजना कक्षा 01 से 10 तक में DNOS/ INOS द्वारा किये जाने वाले कार्यों के कार्यान्वयन संबंधी दिशा निर्देश।

प्रसंग :– भारत सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 18.11.2020 ,06.01.2021 एवं 07.01.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत व प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों के क्रम मे लेख है कि सत्र 2020–21 हेतु एनएसपी (NSP) पोर्टल पर अल्पसंख्यक पूर्व मैट्रिक छात्रवृति (कक्षा 1 से 10 तक) योजना के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि जिला नोडल अधिकारी (DNO) और संस्थान नोडल अधिकारी (INO) को दिए गए समय सीमा के भीतर इन उपायों को सख्ती से लागू करें ताकि इस योजनाओं के तहत वास्तविक लाभार्थियों को नुकसान न हो। NSP के माध्यम से MOMA की पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए DNO/INO आदि द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न निवारक उपायों को प्रभावी कियान्वन करने के लिये निम्न निर्देश प्रदान किये जाते है। अतः DNOS निम्नानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :–

1. जिला नोडल अधिकारियों (DNO) द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त संस्थान नोडल अधिकारियों (INOS) का एनएसपी पोर्टल पर साख (Credintial) का पुनः सत्यापन शतप्रतिशत किया जावे, और संस्थाप्रधान के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगा कि संस्थान नोडल अधिकारी (INO) नियमित रूप से स्कूल के स्थायी कर्मचारी हैं एवं सरकारी विद्यालय के संस्थान नोडल अधिकारी (INO) राज्य सरकार के कर्मचारी हैं ,कोई संविदा/अस्थायी कर्मचारी पद नहीं संभाल रहा है। और उन्होंने किसी अन्य स्कूल के अंदर या बाहर के व्यक्ति के साथ अपना यूजर आईडी और पासवर्ड साझा नहीं किया है। राज्य के समस्त INO का भौतिक रूप से पुन; सत्यापन अविलंब पूरा किया किया जाना सुनिश्चित करें ताकि भारत सरकार को रिर्पोट भिजवायी जा सकें।
2. जिला नोडल अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त संस्थान नोडल अधिकारियों की जिनकी केवाईसी सत्यापन करने के पश्चात् एक सूची बनाकर इनका भौतिक रूप से सत्यापन करने के उपरान्त ही उनके द्वारा सत्यापित आवेदनो को पुनः सत्यापन करेंगें, यदि INO के पुनः सत्यापन किये जाने से पूर्व ही INO द्वारा आवेदनो को सत्यापित करके डीएनओ को अग्रेषित (forward) कर दिया है तो DNO को चाहिए कि जब तक उस INO का पुनः सत्यापन नही हो तब तक उसके द्वारा अग्रेषित (forward) आवेदनों को सत्यापित नही करें।
3. NSP पोर्टल पर L-1 स्तर के सत्यापन के लिए INO (Institute Nodal Officer) जिम्मेदार है, सत्र 2020–21 में NSP पोर्टल पर सभी आवेदनों का L-1 स्तर का सत्यापन INO (Institute Nodal Officer) login से किया जाना है। DNO/INO के द्वारा दिनांक 31.12.2020 तक

E:\Group-B\Minority\Letter Minority1.docx

www.rajteachers.com

सत्यापित सभी आवेदनों को फिर से सत्यापन के लिए संबंधित INOS को वापस भेज दिए गये है और INOS आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आवेदनों का पुनः सत्यापन करेंगे और आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों (जैसे–आय प्रमाण पत्र, सामुदायिक प्रमाण पत्र, मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रतिलिपि, अधिवास (मूल निवास) प्रमाण आदि) का स्कूल रिकॉर्ड के साथ क्रॉस चेक किया जाना सुनिश्चित करें। INO को एक फाइल में आवेदक द्वारा प्रस्तुत सहायक दस्तावेजों (जैसे आय प्रमाण पत्र, सामुदायिक प्रमाण पत्र, जन्मपत्री, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की प्रतिलिपि, अधिवास प्रमाण आदि) की प्रतियां आवश्यक रूप से विद्यालय रिकार्ड मे वर्षवार व योजनावार संधारित रखें। आईएनओ (INO) द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उक्त रिकार्ड DNO/SNO को भौतिक रूप से दिखाना होगा।

4. INO द्वारा पुनः सत्यापित पूर्ण आवेदकों की सूची को स्कूल/संस्थान के संस्थाप्रधान/ प्रमुख प्रमाणित करेंगे और L-I सत्यापन के पश्चात प्रमाणित सूची L-2 सत्यापन के लिए DNO को भेजेंगे। प्रमाणित सूची की एक प्रति और आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को स्कूल द्वारा वर्ष–वार रखा जाएगा और DNO इन दस्तावेजों की रेण्डम आधार पर भौतिक रूप से जाँच करेगा। INO द्वारा फ्रेश और नवीकरण श्रेणियों के तहत आवेदकों के लिए क्रमशः अलग अलग रिकॉर्ड रखा जायेगा। स्कूल द्वारा छात्रवृत्ति फाइल में वित्तीय वर्ष के आधार पर हार्ड कॉपी में दस्तावेजों को रखना होगा और **इस रिकॉर्ड को स्कूल द्वारा कम से कम 5 वर्षों तक बनाए रखा जाएगा।** INO गतिविधियों के प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए स्कूल/संस्थान के संस्थाप्रधान को जिम्मेदार बनाया जाता है। **जिन आवेदको के आवेदन मे हॉस्टल फीस भरी गई है उन समस्त आवेदनो के संस्था के हॉस्टल का DNO द्वारा भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त ही इन आवेदनो का L-2 स्तर सत्यापन का DNO द्वारा किया जाना है।**

5. यदि छात्र ने कोई दस्तावेज जमा नहीं किया है या आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, तो INO आवेदन को दोषपूर्ण (Defective) के रूप में चिह्नित कर सकता है ताकि वास्तविक आवेदक को गलती सुधारने का एक और अवसर प्रदान किया जा सके। इसके अलावा NSP द्वारा स्कूलों के लॉगिन में निम्नलिखित डेटा भी प्रदान किये जायेगें :– (1) पिछले वर्ष में स्कूल द्वारा सत्यापित छात्रवृत्ति आवेदनों की संख्या (2) चालू वर्ष में स्कूल द्वारा सत्यापित छात्रवृत्ति आवेदनों की संख्या एवं सत्यापन के अंतिम दिन तक पोर्टल पर आंकड़े अपडेट किए जाएंगे। स्कूलों के लॉगिन पर उक्त जानकारी आईएनओ को सतर्क कर देगी, जब आवेदनों की संख्या में असामान्य वृद्धि होगी।

6. विशेष रूप से उन जिलों मे जहां INOS की संख्या में असाधारण रूप से वृद्वि हुई है , उन सभी जिलों के INOS को फिर से सत्यापित करने के लिए निर्देशित किया जाता है। जहाँ आवेदन विशेषकर यदि 500 से अधिक है और उन संस्थानों से भी हैं जहाँ से बड़ी संख्या में डोमिसाइल/हॉस्टल के आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। ऐसे सभी INOS के पुन: सत्यापन किया जाना सुनिश्चित करें।

7. अपने अधीनस्थ समस्त संस्थान नोडल अधिकारियों (INOS) को निर्देशित करे कि अपने विद्यालय पर भरे गये आवेदनों मे प्रत्येक विद्यार्थी के मोबाइल नम्बर, बैंक खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड भली भांति जांच कर लेवें कि वह अन्य जिले या अन्य राज्य का दिया गया नहीं हों, साथ ही आवेदनकर्ता (विद्यार्थी) का बैंक खाता जो कॉमन सर्विस पाइन्टस (CSP) ऑपरेटरो/ई मित्रों के माध्यम से खुलवाया गया है उसकी भी गहनता से जांच कर लें

www.rajteachers.com

,सही पाये जाने के उपरान्त ही वास्तविक आवेदनो को सत्यापन (Verification) किया जाना सुनिश्चित करें। **गलत आवेदन सत्यापन (Verification) करने पर समस्त जिम्मेदारी संस्थान नोडल अधिकारी (INO) की होगी।**

8. NSP उन संस्थानों की एक सूची तैयार करेगा, जहाँ से भारी संख्या में संदिग्ध आवेदनों (doubtful applications) को (pushed or received) किया गया है, साथ ही अन्य सभी संदिग्ध मामलों/संदिग्ध संस्थानों की सूची, L-2 स्तर सत्यापन की अंतिम तिथि समाप्त होने से पूर्व cross verification होने पर संबंधित DNO के साथ सूची साझा की जायेगी cross verification होने पर DNO ऐसे संस्थानों का अनिवार्य भौतिक सत्यापन करेगा और पोर्टल पर ऐसा करने की घोषणा प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, सत्यापित आवेदनों के लिए भी DNO द्वारा स्कॉलरशिप की रैंडम चेक/थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए लगभग 2% आवेदनों का चयन किया जा सकता है।

9. फ्रॉड डिटेक्शन सॉफ्टवेयर (Fraud Detection Software) के माध्यम से एनएसपी पोर्टल द्वारा पहचाने गए संदिग्ध/संदिग्ध आवेदन (doubtful/suspicious applications) राज्यों को फिर से सत्यापन (re-verification) के लिए भी भेजे जायेगें। ऐसे सभी Applications को DNO द्वारा आईएनओ (INO) से प्राप्त आवेदन और सहायक दस्तावेजों की हार्ड कॉपी के साथ फिर से सत्यापित किया जायेगा।

10. DNO/INO को सलाह दी जाती है कि वे अपना पासवर्ड बार–बार बदलें और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से बचने के लिए अपने OTP का सावधानीपूर्वक उपयोग करें।

11. राज्यवार एवं समुदाय–वार (state/community-wise) मेरिट सूची तैयार होने के बाद, NSP स्कूली छात्र–छात्राओं की अंतिम अनुमोदित सूची के साथ–साथ, विद्यालय के INO/प्रधानाचार्य के लिए स्वीकार्य छात्रवृत्ति राशि, छात्र–वार भेजेगा, जिसे स्कूल प्रबंधन समिति में जनप्रतिनिधियों/नामांकित अभिभावकों के साथ साझा करने की आवश्यकता है।

12. अगर जिला नोडल अधिकारी (DNO) / राज्य नोडल अधिकारी (SNO) द्वारा किसी भी छात्र के आवेदन को नकली (Fake) के रूप में चिह्नित (Marked fake) किया गया है, तो उक्त संस्थान में आवेदन तब तक होल्ड पर रखा जा सकता है जब तक कि पुनः सत्यापन पूरा नहीं हो जाता है। **साथ ही DNO/INO को सलाह दी जा सकती है कि आवेदनों L-1 & L-2 स्तर का सत्यापन one by one करके किया जाये , Bulk में आवेदनों का सत्यापन नही किया जाये।**

13. DNO/INO के द्वारा चिन्हित **Fake institute** की सूची बनाकर इस कार्यालय को तत्काल प्रेषित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(सौरभ स्वामी)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

क्रमांक :–शिविरा/माध्य/छाप्रोप्र/बी/असंपूमैछा/2020–21/ दिनांक :– 13/01/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

1. संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र के क्रम में सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप शासन सचिव – प्रथम (ग्रुप–1) स्कूल शिक्षा , राजस्थान सरकार जयपुर।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. समस्त संभागीय सयुंक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा विभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके मण्डल के अधीनस्थ जिशिअ कार्यालयों को दिशा–निर्देश जारी कर उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु पाबन्द करें।
6. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ जिशिअ कार्यालयों को दिशा–निर्देश जारी कर उक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु पाबन्द करें।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने ब्लॉक अधीनस्थ सरकारी/गैरसरकारी संस्थाओं का औचक निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करे कि संस्था के द्वारा अल्पसंख्यक छात्रवृति मे एनएसपी पोर्टल पर भरे गये आवेदनों का सही सत्यापन किया गया है।
8. समस्त सरकारी/गैरसरकारी संस्थाप्रधान को अनिवार्यतः पालनार्थ ।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कम्पयूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
10. रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक) श्रीगंगानगर

क्रमांक :– 255 दिनांक :– 15.01.21

समस्त CBEO

समस्त संस्था प्रधान (राजकीय एवं गैर राजकीय)

उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करे।

(हस्ताक्षर)

हंसराज यादव
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक श्रीगंगानगर
डी.डी.ओ. कोड-2735

E:\Group-B\Minority\Letter Minority1.docx

www.rajteachers.com